कार्यकारी सारांश (पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट - ऋण संख्या - 3365-IND)

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), देश की केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू), पूर्ण अंतर-राज्य संचरण प्रणाली पर योजना, समन्वय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जनादेश के साथ विद्युत संचरण में लगी हुई है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और ग्रिड स्ट्रेंथेनींग प्रोजेक्ट ("परियोजना") की योजना नवीकरणीय ऊर्जा के स्थानांतरण की सुविधा के साथ-साथ अंतरक्षेत्रीय संयोजकता बढ़ाने के लिए की गई है। यह परियोजना भारत की 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' पहल का एक उप-समूह है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रांसमिशन सिस्टम विकास समय के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकास के अनुरूप है और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय प्रणालियों के बीच अंतरक्षेत्रीय संचरण क्षमता भी बढ़ाएगा।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) $1000 मिलियन की कुल वित्तीय सहायता (ऋण संख्या -3365-IND के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर का सार्वभौमिक ऋण और ऋण संख्या -3375-IND के तहत $ 500 मिलियन गैर-सार्वभौमिक ऋण) के साथ कहा गया परियोजना का समर्थन कर रहा है। ऋण संख्या -3365-IND और ऋण सं। 3375-IND क्रमशः 30 जून, 2021 और 31 अगस्त, 2021 को ऋण समाप्ति तिथि के साथ 22 मार्च, 2017 और 24 नवंबर, 2017 से प्रभावी हो गया है।

इस परियोजना में शामिल उप-परियोजनाओं में ईएचवी लाइनों के निर्माण और छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और पंजाब में फैले विभिन्न राज्यों के विभिन्न वोल्टेज स्तरों के संबंधित सबस्टेशन शामिल हैं। इसमें विभिन्न वोल्टेज (765 कीवो / 400 कीवो / 320 कीवो वीएससी आधारित एचवीडीसी) के 1216 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के साथ संबंधित 5 नए सबस्टेशंस (रायगढ़ और पुगलूर में ± 800 कीवो एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन, प्यूगलूर और नॉर्थ थ्रिसुर में ± 320 कीवो एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन और बीकानेर में 765/400 कीवो सबस्टेशन) शामिल है।

परियोजना को पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ईएसपीपी) और एडीबी के सुरक्षा नीति विवरण, 2009 के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सहमत अनुबंध समझौते के अनुसार विभिन्न अनुबंध और प्रोजेक्ट विशिष्ट सुरक्षा दस्तावेजों (आई.ई.ई. / सी.पी.टी.डी. / ई.एम.पी.) में किए गए प्रावधान जिन्हें ढांचे के अनुसार तैयार और खुलासा किया गया है, भी इस परियोजना पर लागू होते है। परियोजना को ए.डी.बी के एस.पी.एस के अनुसार पर्यावरण श्रेणी 'बी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस दूसरा अर्ध-वार्षिक सुरक्षा निगरानी रिपोर्ट, जनवरी-जून 2018 की अवधि के लिए ऋण अनुबंधों के तहत सहमत रिपोर्टिंग ढांचे का हिस्सा है।

सावधानीपूर्वक मार्ग चयन तकनीक के साथ, प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए कुल वन भागीदारी 4.17 किमी तक सीमित थी जो 1216 किमी लाइनों की कुल लाइन लंबाई का केवल 0.34% है। इसके अलावा, ± 320 केवी पुगलूर-नॉर्थ त्रिचूर लाइन के भूमिगत हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा (0.49 किमी) पीची वज़ानी वन्यजीव अभयारण्य से गुजर रहा है जो अपरिहार्य हे क्योंकि भूमिगत केबल रखने के लिए कोई अन्य उपयोगिता गलियारा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के लागू प्रावधानों के अनुसार क्रमशः वन और वन्यजीवन क्षेत्र के व्यपवर्तन के लिए आवश्यक मंजूरी / अनुमति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त की जा रही है (MoEFCC)। इसके अलावा, पावरग्राइड देश के अन्य सभी लागू कानूनों / नियमों / विनियमों का अनुपालन कर रहा है और इस संबंध में आज तक कोई उल्लंघन / जुर्माना नहीं हुआ है।

प्रस्तावित लाइनों के निर्माण के लिए वन और वन्यजीव क्षेत्र के उल्लंघन के कारण कुछ प्रभावों को छोड़कर तत्काल परियोजना में कोई भी प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव अनुमानित नहीं है। हालांकि, मुख्य वन्यजीव वार्डन (सी.डब्लू.डब्ल्यू). / वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (एन.बी.डब्ल्यू.एल.) द्वारा निर्धारित वन्यजीव

शमन योजना सहित वन और वन्यजीव अनुमति की शर्तों का अनुपालन सभी संभावित प्रभावों को कम करने के लिए लागू किया जाएगा। इसके अलावा, अनुमान लगाया गया है कि निर्माण के दौरान सबस्टेशन में छोटे पैमाने पर निर्माण गतिविधियों के कारण अस्थायी प्रभावों और लाइनों के लिए राइट अफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू) को समाशोधन के कारण वनस्पति के नुकसान जैसे कुछ प्रभावों को कभी भी टाला नहीं जा सकता है। हालांकि, आज तक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रस्तावित हस्तक्षेप के कारण कोलाहल, यातायात, धूल इत्यादि या किसी भी बड़ी असुविधा के संबंध में जनता से कोई शिकायत नहीं हुई है। ईएमपी में सूचीबद्ध परियोजना विशिष्ट शमन उपायों, जो कि अनुबंध दस्तावेजों का भी हिस्सा है, परियोजना के विभिन्न चरणों में उचित रूप से लागू किया जा रहा है और उचित कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। ईएमपी में उल्लिखित पहचाने गए प्रभावों के अलावा, रिपोर्टिंग अवधि में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कोई अन्य अप्रत्याशित प्रभाव नहीं देखा गया / रिपोर्ट किया गया। सुरक्षा के संबंध में, सभी आवश्यक उपायों जिनमें उचित सावधानी / जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ पी.पी.ई. के उपयोग को सुनिश्चित किया गया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी निर्माण स्थल से प्रमुख / मामूली चोटों सहित किसी भी तरह की दुर्घटना (घातक या गैर-घातक) की सूचना नहीं मिली है।

दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र शिकायतकर्तायें की चिंताओं और शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित / हल कर रहा है। प्रभावित व्यक्तियों / जन साधारण की सभी चिंताओं / शिकायतों (मामूली शिकायतों सहित) को दर्ज किया जाता है और नियत समय सीमा के भीतर उनके निपटारे के लिए नियमित प्रयास किया जाता है।

परियोजना कार्यान्वयन की पावरग्रिड का पद्धति जिसमे डिजाइन चरण में ही इष्टतम मार्ग के चयन, ईएमपी के उचित कार्यान्वयन और मजबूत संस्थागत व्यवस्था द्वारा समर्थित निगरानी तंत्र ने परियोजना जीवन चक्र में परियोजना गतिविधियों से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों को काफी हद तक कम कर दिया है। राइट अफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू) का अनुकूलन होगा जिसके परिणामस्वरूप इन लाइनों की उच्च शक्ति वाहक क्षमता के कारण भूमि आवश्यकता में कमी आएगी। इसके अलावा, परियोजनाओं के प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ जैसे रोजगार के अवसर, स्वच्छ और हरे स्रोत से बेहतर बिजली की आपूर्ति, बुनियादी सुविधाओं की सुविधाओं में सुधार, बेहतर व्यावसायिक अवसर परियोजना के नगण्य प्रभाव से अधिक है। चूंकि इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सबप्रोजेक्ट को नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से स्वच्छ और हरी ऊर्जा निकालने की योजना बनाई गई है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं से जुड़े लाभ जैसे ग्रीन हाउस गैसों (जी.एच.जी.) के उत्सर्जन में कमी और परिणामी गर्मी और जलवायु परिवर्तन किसी भी संभावित प्रतिकूल प्रभाव को बराबर कर देगा।